

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था.दो/बी/2021/173-7/अ.नि./

दिनांक / /2021

// आदेश //

म.प्र. शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी आदेश क्रमांक सी.3-12/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में जारी नियम एवं दिशा निर्देशों के परिपालन में निम्नलिखित आवेदक को सहायक श्रेणी-III के पद, सातवें वेतनमान लेवल 4 (रुपये 19500 +अन्य भत्ते) पर कॉलम क्रं. 03 में दर्शित श्रेणी के अन्तर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संलग्न शर्तों के अधीन तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर कॉलम क्रमांक 04 में अंकित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्रं.	नाम	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1.	श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा, पत्नि स्व. श्री सुधीर कुमार शर्मा, पता- C/O शैलेश वैष्णव, जानी वकिल के मकान के पीछे, वल्लवभाई वार्ड रामनगर, गोंदिया, महाराष्ट्र, 441614	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कृषि महाविद्यालय, बालाघाट B(C)-14 COA, Waraseoni, TSP संलग्न -कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गांव, बालाघाट

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि के पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

संलग्न :- अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

सडी
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक स्था.दो/बी/2021/173-7/अ.नि./ 941

दिनांक 30 / 11 / 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-


1. कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अभियांत्रिक, संकाय, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. संचालक, अनुसंधान/विस्तार सेवाएं/शिक्षण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. लेखानियंत्रक, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बालाघाट, वारासिवनी।
6. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गांव, बालाघाट।
7. कार्यपालन यंत्री, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
8. सहायक कुलसचिव, सामान्य/स्थापना/विधि, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
9. अनुभाग अधिकारी, ई.एफ.पी./भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/सामान्य/पेंशन/वेतन निर्धारण/विधि, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, उद्योग विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर। कृपया उपरोक्त आदेश वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा, पत्नि स्व. श्री सुधीर कुमार शर्मा, (पूर्व वाहन चालक सह-मैकेनिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गांव बालाघाट, पता- C/O शैलेश वैष्णव, जानी वकिल के मकान के पीछे, वल्लवभाई वार्ड, रामनगर, गोंदिया, महाराष्ट्र, 441614
12. सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव

PTO

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)
अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें

1. उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती हैं। यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील होंगी।
3. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
4. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
6. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय उसकी शैक्षणिक अर्हताओं के समस्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करने एवं उनके समाधान कारक होने की स्थिति में उपस्थिति ली जा सकेगी।
7. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय पालिसी में विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
8. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जाँचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विहित के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
9. सहायक श्रेणी-III के पद पर नियुक्त होने पर यह शर्त होगी की आवेदक तीन वर्ष के अंदर म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 26.02.2015 के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCIT) उत्तीर्ण करने के साथ ही उक्त विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18.08.2015 में उल्लेखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करें। उक्त समयावधि में अर्हताएं प्राप्त नहीं कर पाता हैं तो उसके द्वारा उक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों को देखते हुए एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इस बढ़ाई गई अवधि में संबंधित कर्मचारी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं करता है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन के नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2005 के अधीन होगी।
11. आवेदक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं संलग्न शपथ-पत्र असत्य पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।


कुलसचिव